न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :101/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/410)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सतेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द जाति अरोडा निवासी 85 सी ब्लॉक, नजदीक नेहरू पार्क, श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. प्रकाश देवी पत्नी निर्मल चन्द जाति कम्बोज निवासी चक 1 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:– 26.12.2024

उपस्थितः **1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रार्थी**
2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

––निर्णय–– **दिनांक : 19.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 34/2017 अनवान सतेन्द्र कुमार बनाम निर्मल चन्द आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 में वादी सतेन्द्र कुमार को राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 119/97 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 की 0.025 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.075 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए गए थे। इन्तकाल संख्या 568 दिनांक 08.11.2021 से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 की 0.075 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जिससे मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.228 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.178 हैक्टेयर भूमि का अंकन होना चाहिए था। क्योंकि एक किला में 0.253 हैक्टेयर भूमि होती है। उक्त डिक्री की पालना के उपरान्त निर्मल चन्द ने अपनी पत्नी प्रकाश देवी को भूमि जरिए उपहार पत्र निष्पादित कर दी। प्रकाश देवी के नाम मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.178 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। राजस्व अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की त्रुटि से राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में बिना 0.050 हैक्टेयर भूमि कम किए 0.228 हैक्टेयर भूमि का इन्द्राज कर दिया गया। जिससे किला नम्बर 18/1 की 0.228 हैक्टेयर व किला नम्बर 18/2 की 0.075 हैक्टेयर भूमि का योग 0.303 हैक्टेयर भूमि हो गया। जबकि एक किला नम्बर 18 में 0.253 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि अर्थात 0.303 हैक्टेयर भूमि नहीं हो सकती है। उक्त इन्द्राज, जो त्रुटिवश अंकित हुआ होने के कारण धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत दुरूस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाने बाबत प्रार्थी की ओर से तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष अर्ज किया गया। लेकिन अप्रार्थी स्टेट के द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय से आदेश लाये जाने के कथन किए जाने पर एंव बिना आदेश दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.228 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.178 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 446 दिनांक 05.03.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी के नाम से चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 में 0.075 हैक्टेयर रकबा दर्ज होने से इस किले का कुल रकबा जो कि पूर्व में 0.253 हैक्टेयर दर्ज था, बढकर 0.303 हैक्टेयर दर्ज हो गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में किला नम्बर 18/2 में प्रार्थी का रकबा 0.050 हैक्टेयर बढाया गया। जबकि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

इस हद तक किसका रकबा कम किया जाना है। इसका उल्लेख निर्णय में नहीं होने के कारण उक्त किला नम्बर 18/2 का रकबा 0.253 हैक्टेयर से बढकर 0.303 हैक्टेयर दर्ज हो चुका है। निर्णय के समय मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18 का शेष रकबा 0.228 हैक्टेयर प्रतिवादी निर्मलचंद की पत्नी प्रकाश देवी के नाम दर्ज था जो कि इनको निर्मल चंद से जरिये इन्तकाल संख्या 505 दान से प्राप्त हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 52 में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.228 हैक्टेयर रकबा प्रकाश देवी के नाम दर्ज है। अतः मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18 का कुल रकबा दुरूस्त कर 0.303 हैक्टेयर की जगह 0.253 हैक्टेयर किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रश्नगत भूमि अप्रार्थिया को जरिए पंजीकृत दानपत्र दिनांक 29.09.2016 से प्राप्त हुई थी। दिनांक 29.09.2016 से अप्रार्थिया प्रश्नगत भूमि की खातेदार है। परन्तु प्रार्थी द्वारा दावा नम्बरी 34/2017 में अप्रार्थिया को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया और दावा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश कर न्यायालय को गुमराह करके एकतरफा डिक्री करवा लिया। जबकि अप्रार्थिया उक्त दावा में अतिआवश्यक पक्षकार होनी चाहिए थी। आवश्यक पक्षकार के संयोजन के बिना पारित निर्णय एंव डिक्री कानूनन लागू होने योग्य नहीं है और निर्णय एंव डिक्री किसी भी सूरत में अप्रार्थिया के हितों पर प्रभावी नहीं है। अप्रार्थिया को आदेश एंव डिक्री दिनांक 01.11.2021 का ईल्म तब हुआ, जब अप्रार्थिया को उक्त प्रकरण के बारे में ज्ञान हुआ, तब अप्रार्थिया ने बिना देरी किए आदेश एंव डिक्री दिनांक 01.11.2021 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील दायर कर दी। जो विचाराधीन है। जब तक अप्रार्थिया की अपील विचाराधीन है, तक तक उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना एंव कोई प्रभावी आदेश पारित किया जाना अप्रार्थिया के हितों पर कुठाराघात होगा और प्राकृति न्याय का हनन होगा। गांवो के संग अभियान 2010 में दिनांक 28.12.2010 को चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के सहखातेदारों निर्मल चन्द, प्रेम कुमार एंव प्रार्थिया एंव प्रार्थिया सतेन्द्र कुमार के मध्य आपसी रजामन्दी से विवादित भूमि का बंटवारा हुआ था। जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 345 दर्ज हुआ। उक्त बंटवारानामा के अनुसार प्रार्थी के हिस्सा में किला नम्बर 18/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 सालम, एंव किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर भूमि आई। उक्त इन्तकाल संख्या 345 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। अगर प्रार्थी को तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 28.12.2010 एंव उसके आधार पर हुए इन्तकाल संख्या 345 पर कोई आपत्ति थी, तो अप्रार्थी को सर्वप्रथम तहसीलदार के उक्त आदेश एंव इन्तकाल संख्या 345 को निरस्त करवाने के लिए किसी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी। परन्तु प्रार्थी ने ऐसा ना करके विधि विरूद्व तरीके से माननीय न्यायालय से दिनांक 01.11.2021 को आदेश एंव डिक्री पारित करवाई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व दायर होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 119/97 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 52/52 की प्रति, नामान्तरण संख्या 568 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरण संख्या 505 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 40/40 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

संख्या 97/40 की प्रमाणित प्रति, दानपत्र दिनांक 29.09.2016 की छायाप्रति, तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 471 दिनांक 28.12.2010 की छायाप्रति, नामान्तरण संख्या 345 की छायाप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में प्रस्तुत अपील संख्या 05/2025 अनवान प्रकाश देवी बनाम सतेन्द्र कुमार की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.228 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.178 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी के नाम से चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 में 0.075 हैक्टेयर रकबा दर्ज होने से इस किले का कुल रकबा जो कि पूर्व में 0.253 हैक्टेयर दर्ज था, बढकर 0.303 हैक्टेयर दर्ज हो गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में किला नम्बर 18/2 में प्रार्थी का रकबा 0.050 हैक्टेयर बढाया गया। जबकि इस हद तक किसका रकबा कम किया जाना है। इसका उल्लेख निर्णय में नहीं होने के कारण उक्त किला नम्बर 18/2 का रकबा 0.253 हैक्टेयर से बढकर 0.303 हैक्टेयर दर्ज हो चुका है। निर्णय के समय मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18 का शेष रकबा 0.228 हैक्टेयर प्रतिवादी निर्मलचंद की पत्नी प्रकाश देवी के नाम दर्ज था जो कि इनको निर्मल चंद से जरिये इन्तकाल संख्या 505 दान से प्राप्त हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 52 में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.228 हैक्टेयर रकबा प्रकाश देवी के नाम दर्ज है। अतः मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18 का कुल रकबा दुरूस्त कर 0.303 हैक्टेयर की जगह 0.253 हैक्टेयर किया जाना उचित है। लिहाजा प्रकरण संख्या 34/2017, अनवान सतेन्द्र कुमार बनाम निर्मल चन्द आदि, अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 01.11.2021 में वादी सतेन्द्र कुमार को चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 की 0.025 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.075 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया गया था। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश देवी के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1 में 0.228 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.178 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश देवी के द्वारा उक्त निर्णय मय डिक्री दिनांक 01.11.2021 की अपील संख्या 05/2025, अनवान प्रकाश देवी बनाम सतेन्द्र कुमार आदि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है। जो अभी विचाराधीन है। अपील विचाराधीन रहते हुए हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136—भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर